



माननीय न्यायालय राजस्व मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015-2016 निगरानी नि-199-III-16



- 1- गंगाधर शर्मा पिता जगन्नाथजी शर्मा
पुर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर
पंचायत सुसनेर जिला शाजापुर (म0प्र)
- 2- राणा यशवन्तसिंह पिता राणा नटवरसिंहजी
पुर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सुसनेर जिला
शाजापुर (म0प्र)आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आगर मालवा
जिला आगर मालवा (म0प्र)
- 2- विष्णु भावसार पिता बालकृष्ण भावसार
निवासी न्यु बस स्टेण्ड सुसनेर जिला आगर
मालवा (म0प्र0)अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 331 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961
अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (मध्यप्रदेश) के
प्रकरण क्रमांक 1028/2015/ जि.सा.का./स्था/मे पारित आदेश दिनांक
01-12-2015 से असन्तुष्ट होकर ।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Jitendra Sharma]

[Handwritten Signature]

दिनांक 19.11.16

[Handwritten Signature]
19/11/16

राजस्व मध्यप्रदेश

2.8.2016

आवेदन की ओर ल
श्री आ. टी. ० शर्मा अभिभाषक
उपाध्यक्ष। यह निगमानी प्र. प्र.
कार कारिका आदेशियम के
अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
उक्त आदेशियम के अन्तर्गत
युनवाई का श्रेयाधिकार उस आयाकन
को प्रदी है। अतः यह निगमानी
शुद्धि शर्मा की जाकर स्थान
दिया गया है। अतः आवेदन
के अभिभाषक के निर्देश पर
प्रमाण सक्षम आयाकन में प्रस्तुत
करने हेतु कार्रवाई किया जाता है।
एवं 15 दिवस के विधि बलुकी
की कार्रवाही स्थगित की जाती
है।

12/8
2016

12/8
2016

अध्यक्ष